मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या–136/2020 (एम.ए.सी.पी. सं. 435/2019)
श्रीमती पूना आदि बनाम जितेन्द्र सिंह आदि,
28.09.2020

3 बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती पूना, विष्णुपाल व महेश पाल नाबालिगान जरिये माँ एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती पूना तथा राम सिंह द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 28.07.2020 के अनुपालन में विपक्षी सं.2 बीमा कम्पनी ने न्यायाधिकरण में क्षतिपूर्ति की धनराशि मुब. **8,00,000**/–रु. जमा कर दी है। प्रार्थीगण उक्त जमाशुदा धनराशि उठा पाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि उक्त याचिका में जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थी को दिलाए जाने की कृपा की जाए। प्रार्थीगण ने समर्थन में 4 सी2 स्वयं का शपथपत्र, अपने आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. 435/2019 श्रीमती पूना आदि बनाम जितेन्द्र सिंह आदि की पत्रावली व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया श्रीमती पूना ने शपथपत्र 4 सी2 में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो जाने के कारण उक्त प्रकरण में न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कोई भी अपील प्रस्तुत नहीं की गई है न ही विचाराधीन न ही कोई स्थगन आदेश है। मूल पत्रावली एम.ए.सी.पी. सं. 435/2019 में पारित निर्णय/आदेश दिनाँकित 28.07.2020 के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य सुलहनामें के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा मुब. 8,00,000/–रु. प्रार्थीगण/याचीगण को दिलाए जाने हेतु एवार्ड पारित किया गया है एवं उक्त क्षतिपूर्ति की धनराशि में से प्रार्थी/याची सं. 1, 2, 3 व 4 को क्रमशः 35, 25, 25, व 15 प्रतिशत भाग प्राप्त होना है तथा प्रार्थी/याची सं. 1 व 4 की उक्त धनराशि में से 25–25 प्रतिशत भाग उनके बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट स्थानान्तरित किये जाने हैं तथा अवशेष 75–75 प्रतिशत भाग उनके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वोच्च ब्याज देने वाली स्कीम के अन्तर्गत क्रमशः 5 एवं 3 वर्ष के लिए एन्युटी के लिए निवेशित किया जावेगा, जिससे प्राप्त ब्याज की धनराशि वह अपने बैंक खाते के जरिए प्राप्त करते रहेंगे। प्रार्थी/याची सं. 2 व 3 को प्राप्त होने वाली अपने–अपने भाग की उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि उनके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सर्वोच्च ब्याज देने वाली सावधि जमा योजना में उनकी वयस्कता तक के लिये निवेशित की जाएगी। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी सं. 2 बीमा कम्पनी द्वारा उक्त एवार्ड की धनराशि न्यायाधिकरण के सिन्डीकेट बैंक के खाते में UTR No AXISPN 0054594764 के माध्यम से जमा की जा चुकी । प्रार्थीगण सं. 1 व 4 ने अपने बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति दाखिल की गई है, जिनमें उनके खाता संख्या आदि का विवरण अंकित हैं। अतः न्यायाधिकरण द्वारा परित एवार्ड के अनुसार प्रार्थीगण/याचीगण उक्त जमाशुदा क्षतिपूर्ति मुब. 8,00,000/–रु. प्राप्त करने के अधिकारी है। चूँकि सिन्डीकेट/कैनरा बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी में एन्युटी का प्रोड्क्ट कोड़ अभी उपलब्ध नही है अतः सम्पूर्ण धनराशि पंजाब नेशनल बैंक मे स्थानान्तरित की जानी होगी।

आदेश

सिन्डीकेट/कैनरा बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झांसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी.सं. 435/2019 (प्रकीर्ण वाद सं.136/2020 श्रीमती पूना आदि बनाम जितेन्द्र सिंह आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि तथा उस पर अर्जित ब्याज अलग–अलग दर्शाते हुए पंजाब नेशनल बैंक मे न्यायाधिकरण के खाता सं. 3671000101192489 IFSC– PUNB0367100 मे स्थानान्तरित कर दे। पंजाब नेशनल बैंक को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त धनराशि प्राप्त हो जाने पर प्रार्थी को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर देंः–

Applicant/ petitioner	Amount in Rs.	+ (%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Smt. Poona	70000	8.75	Elect.Mode RTGS/NEFT	92352010009967	Syndicate Bank Govind chauraha jhansi	SYNB 0009235
1. Smt. Poona	210000	26.25	Annuity for 5 Years	–––	Any Nationalized Bank	––––
2.Vishnu Pal	200000	25	FD up to Majorty	–––	Any Nationalized Bank	––––
3. Mahesh Pal	200000	25	FD up to Majorty.	–––	Any Nationalized Bank	––––

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.09.29 13:13:35 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

4. Ramsingh	30000	3.75	Elect.Mode RTGS/NEFT	92352010009986	Syndicate Bank Govind Chauraha Jhansi	SYNB 0009235
4. Ramsingh	90000	11.25	Annuity for 3 Years		Any Nationalized Bank	----
Total	**800000**	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई–मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। 3 बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।